

अनुमोदन हेतु प्रारूप
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का०आ०सं०-प्र०-7/विविध (कार०) -145/2017- 3320(E) पटना, दिनांक 15/5/18

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-101 के कि०मी० 68.1 से 86.35 (संशोधित कि०मी० 68.1 से 87.0) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (जॉब सं०-110-BR-2012-861) वर्ष 2013-14 का एकरारनामा (एकरारनामा सं०-SBD-01/2013-14) कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल गया द्वारा संवेदक BLA Projects Pvt. Ltd., "Indicon viva", 3rd floor, 53-A, Leela Roy Sarani, Kolkata, Pin-700019 के साथ किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य की राशि 46,33,88,713 रुपये थी। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 11.05.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.05.2015 (EOT-31-03-2016) थी।

1. कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-3, पथ निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल गया अन्तर्गत सं०-101 के कि०मी० 68.1 से 86.35 (संशोधित कि०मी० 68.1 से 87.0) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 की जाँच की गई। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०-3 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-661 (अनु०) दिनांक-08.12.2016 एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-60 अनु० दिनांक-19.01.2017 द्वारा समर्पित किया गया। प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरान्त संवेदक BLA Projects Pvt. Ltd. के विरुद्ध निम्न बिन्दुओं पर आरोप गठित किया गया :-

(i) पथ में 73rd km, 74th km, 75th km, 76th km, 80th km, 81st km, 82nd km, 83rd km, 84th km, 86th km 87th km, में Shoulder आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाया गया।

(ii) पथ के 70वें कि०मी० में SDBC Gr-II कार्य में अलकतरा की मात्रा 5% के विरुद्ध 3.6% पायी गयी है।

(iii) पथ के 70वें कि०मी० में WMM में प्रयुक्त Aggregate का औसत F1+E1 का मान 42.326% पाया गया है, जो मानक के अनुरूप नहीं है।

(iv) पथ के 70वें कि०मी० में BM Grade-II कार्य में अलकतरा की मात्रा 3.3% के विरुद्ध 2.603% पायी गयी है।

2. उक्त आरोपों के आधार पर बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (ख) के आलोक में विभागीय पत्रांक-6007 (E) दिनांक-24.10.2017 द्वारा संवेदक BLA Projects Pvt. Ltd से स्पष्टीकरण की मांग की गयी परन्तु संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-6832 (E) दिनांक-04.12.2017 एवं पत्रांक-7317 (ई०) दिनांक 22.12.2017 के द्वारा संवेदक को पुनः स्मारित किया गया।

3. उक्त के आलोक में संवेदक के पत्रांक-124 दिनांक-11.12.2017 एवं पत्रांक-128 दिनांक 10.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें संवेदक द्वारा बताया गया कि कालांतर में वाहन के परिचालन एवं Exposure to Sunlight and Rain के कारण बिटुमिन कॉन्टेन्ट की जाँच करने पर बिटुमिन की मात्रा में ह्रास होना स्वाभाविक है। साथ ही एक ही कि०मी० में विभिन्न स्थानों पर अलकतरा की पायी गयी मात्रा में काफी अन्तर है, जो अप्रत्याशित है। अपने कथन के समर्थन में विषयांकित पथ से BM के तीन नमूने तथा SDBC के तीन नमूने की जांच NIT, Patna से कराकर जांचफल समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार SDBC कार्य में बिटुमिन की मात्रा 4.9% एवं BM 3.5% प्रतिवेदित है।

4. संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि संवेदक द्वारा स्वयं ही नमूना एकत्र कर NIT पटना से इसकी जांच करायी गयी। नमूना एकत्र करते समय कोई भी विभागीय पदधिकारी उपस्थित नहीं थे, इसलिए संवेदक द्वारा स्वयं अपने स्तर से नमूना एकत्र कर करायी गयी जांच विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

अतः संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, एवं उपरोक्त आरोप के लिये वे पूर्णतः दोषी हैं।

5. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (क) (ii) एवं विभागीय ज्ञापांक-4104 (ई०) दिनांक-28.10.2009 के प्रावधानों के आलोक में BLA Projects Pvt. Ltd., "Indicon viva", 3rd floor, 53-A, Leela Roy Sarani, Kolkata, Pin-700019 (निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी-1 (प्रथम)-529/2014 पथ) को अगले 2 (दो) वर्षों के लिए निलंबित करते हुए संवेदक से विषयांकित कार्य में कम पाये गये अलकतरा की राशि की वसूली का आदेश दिया जाता है।

Laxmi
19/1/18
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध (कार्र०) -145/2017 3320(E) पटना, दिनांक..... 15/1/18.....

प्रतिलिपि :- संवेदक BLA Projects Pvt. Ltd., "Indicon viva", 3rd floor, 53-A, Leela Roy Sarani, Kolkata, Pin-700019 को सूचनार्थ प्रेषित।

Laxmi
19/1/18
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

क०पृ०उ०

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध (कार्र०) -145/2017- 3320(E) पटना, दिनांक 15/5/18

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध (कार्र०) -145/2017- 3320(E) पटना, दिनांक 15/5/18

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०-3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, गया को निदेश दिया जाता है कि संवेदक से राशि की वसूली कर विभाग को सूचित करें।



(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध (कार्र०) -145/2017- 3320(E) पटना, दिनांक 15/5/18

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।



(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव



